

 <p>दूरभाष : 2300355, 2301754 TELEPHONE: 2300355, 2301754 ई-मेल : ors.gdc.soi@gov.in E-MAIL : ors.gdc.soi@gov.in फैक्स : 0674-2301418 FAX : 0674-2301418</p>	 <p>भारतीय सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA</p>	<p>ओड़िशा एवं छत्तीसगढ़ भू-स्थानिक निदेशालय ODISHA AND CHHATTISGARH GD भारतीय सर्वेक्षण विभाग, SURVEY OF INDIA सर्वे भवन, SURVEY BHAWAN पी.ओ.-आर.आर.लैब, P.O.-R.R. LAB. भुवनेश्वर, BHUBANESWAR-751013</p>
---	---	---

ओड़िशा एवं छत्तीसगढ़ भू-स्थानिक निदेशालय, भुवनेश्वर नेमी आदेश संख्या- 08/37-जी-9(प्रशा)दिनांक 10 अप्रैल, 2026.

ODISHA AND CHHATTISGARH GD ROUTINEORDER NO.08/37-G-9(Adm)Dated 10 April, 2026

1. एम0ए0सी0पी0 योजना के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन का कार्यान्वयन THIRD FINANCIAL UPGRADATION UNDER MODIFIED ASSURED CARRIER PROGRESSION SCHEME- IMPLEMENTATION OF.

इस केन्द्र के गुप“बी” सेवा के राजपत्रित अधिकारी के संवर्ग अधिकारी सर्वेक्षक को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से लेवल-10 में केन्द्रीय सरकार के सिविल अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है।

The Officer Surveyor, Cadre of Gazetted Officer of Group 'B' Service of this Centre is granted the benefit of 3rd financial upgradation under MACP Scheme for Central Government Civilian Officers/Employees in Level-10 from the date shown against his name.

क्र. सं	नाम & पद Name & Designation	एम ए.सी.पी. के लाभ की तिथि / Date from which MACP granted	प्राधिकार Authority
1.	श्री संजय कुमार, अधिकारी सर्वेक्षक / Shri Sanjay Kumar, Officer Surveyor	03-02-2026 (तृतीय/Third)	भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सं.सी.पी.-440/1902-MACP- III(OS)/Coll.X दिनांक 01 अप्रैल 2026.

- उपरोक्त अधिकारी को एम.ए.सी.पी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के लिए **FR(22)(I)(ए)(1)** के अधीन अपना विकल्प देना होगा तथा कार्यालय प्रमुख द्वारा वेतन का निर्धारण किया जाएगा।

The above officer, on being granted the benefit of financial upgradation under MACP Scheme, will have to exercise his option under **FR(22)(I)(a)(1)** for fixation of pay in the new pay scale and the pay will be fixed by the Head of Office.

- अतिरिक्त सन्निहित व्यय ओड़िशा एवं छत्तीसगढ़ जी.डी.के वर्ष **2026-27** के संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा एवं उचित लेखा शीर्ष के नाम में डाला जायेगा।

The additional expenditure involved will be met from the sanctioned budget grant for the year **2026-27** of Odisha and Chhattisgarh GD and will be debited to the appropriate head of account.

- उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई सतकता / अनुशासनात्मक मामला लम्बित नहीं है।

No vigilance/disciplinary case is pending against the above officer.

II. कैश हैंडलिंग अलाउंस

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 18.01.2019 के क्रमांक 4/6/2017-(वेतन-II) के अनुसार, इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मियों के लिए उनके नाम के सामने उल्लिखित तिथि से कैश हैंडलिंग अलाउंस प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है।

In terms of Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Deptt. Of Personnel & Training) No.4/6/2017-(Pay-II) dated 18.01.2019 sanction is hereby accorded for grant of Cash handling allowance in respect of the following personnel of this office effect from the date as mentioned against his name.

क्र. सं. SI. No.	नाम & पद Name & Designation	अवधि Period	नकद प्रबंधन भत्ते की राशि Amount of Cash Handling allowance
1.	श्री बिरंछि चन्द्र राउत, कार्यालय अधीक्षक /Shri Biranchi Chandra Rout, Office Supdt.	अप्रैल 2025 से नवम्बर 2025 April 2025 to Nov 2025	₹ 7000/-
2.	श्री एस.एस.सबुई, कार्यालय अधीक्षक / Shri S.S.Sabui, Officer Supdt	दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 Dec 2025 to Feb 2026	₹ 2625/-

III. सेवानिवृत्ति/ RETIREMENT

इस कार्यालय के अधोलिखित कर्मचारी, उनके नाम के समक्ष दर्शाई गयी तिथि से सेवानिवृत्ति हुए ।

The undermentioned employee of this office is retired on Superannuation with effect from the date shown against her name as mentioned below:-

क्रम. सं. SI. No.	नाम & पद Name & Designation	सेवानिवृत्ति की तारीख Date of Retirement
1.	Shri Ram Raish Jaiswal, Store Supervisor Gde-I	31.03.2026(A/N)
2.	Shri Satya Charan Naskar, Office Superintendent	31.03.2026(A/N)

-

(स्वर्णिमा बाजपेयी)

अधीक्षण सर्वेक्षक
निदेशक(सामयिक आधार पर)

वितरण :

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ ।
2. Web admin महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून को इस अनुरोध से सूचनार्थ कि विभागीय Website में नेमी आदेश को दर्शाएँ ।
3. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता को सूचनार्थ।
4. क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता को सूचनार्थ ।
5. स्थापना एवं लेखा अधिकारी तथा अनुभाग अधिकारी (लेखा अनुभाग) को सूचनार्थ तथा आवश्यक कारवाई हेतु।